

दि. 21/02-22 को सं. 10/2024

21/02/22

आज पत्रावली पेश हुई। मूल वंश
अहम हाजरी अहम बरणी में
खारिज किया जा चुका है। अतः
उर्ध्वना पत्र 212 RT-Act में
आगे चलाने का कोई अर्थ
नहीं है। अतः उर्ध्वना पत्र एकी
स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फिलहाल शुभारंभ होकर
गमक से हम होकर दायित्व दफ्तर है।

जयशंकर आर्य
बनारस (उ.प्र.)